

भारत सरकार  
रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
उर्वरक विभाग  
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 55\*

जिसका उत्तर शुक्रवार, 4 फरवरी, 2022/15 माघ, 1943 (शक) को दिया जाना है।

**उर्वरकों की मांग एवं आपूर्ति**

\*55. श्री सौमित्र खान:

डॉ. संजय जायसवाल:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राष्ट्रीय स्तर पर उर्वरकों के उत्पादन में गत पांच वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को देश में उर्वरकों की कमी के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) देश में गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक उर्वरकों की मांग एवं आपूर्ति की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थिति क्या है और पश्चिम बंगाल के संबंध में प्रत्येक प्रकार के उर्वरक से संबंधित ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या गत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को पर्याप्त आपूर्ति नहीं हुई है और यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ड.) किसानों को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री  
(डा. मनसुख मांडविया)**

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

“उर्वरकों की मांग और आपूर्ति” के संबंध में दिनांक 04.02.2022 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 55 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): पिछले पांच वर्ष के दौरान सभी प्रमुख उर्वरकों का उत्पादन नीचे दिया गया है:-

(आंकड़े एलएमटी में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
उर्वरक उत्पादन	414.41	413.61	413.85	425.92	433.66

उपर्युक्त आंकड़े 2017-18 के दौरान सभी प्रमुख उर्वरकों के उत्पादन में मामूली कमी दर्शाते हैं जो कोई खास बात नहीं है। अन्यथा उत्पादन सतत रूप से बढ़ रहा है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): चालू वित्त वर्ष 2021-22 सहित पिछले तीन वित्त वर्ष (अर्थात् 2018-19, 2019-20 और 2020-21) के लिए सभी उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार (पश्चिम बंगाल राज्य सहित) वर्ष वार ब्योरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ): चालू वित्त वर्ष 2021-22 सहित पिछले तीन वर्ष के दौरान देश भर में उर्वरकों की समग्र उपलब्धता सहज रही है। तथापि, पिछले और चालू मौसम के दौरान कुछ राज्यों/जिलों ने कुछ समय अवधि के लिए कमी का सामना किया था। तदनुसार, राज्य सरकारों के अनुरोध के आधार पर आवश्यकता को पूरा करने हेतु उर्वरकों के अतिरिक्त रोक भेजे गए।

(ड.): सभी राज्यों में उर्वरकों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- i. राज्यों के साथ परामर्श करके फील्ड आवश्यकता का आकलन करने का प्रयास किया गया है और तदनुसार जिला-वार सूक्ष्म योजना तैयार की गई है जिसे दैनिक आधार पर निष्पादित किया जा रहा है।
- ii. वेब प्लेटफॉर्मों/कंट्रोल रूम के माध्यम से राज्य सरकारों, कंपनियों और रेलवे के साथ 24x7 सम्पर्क स्थापित किया गया है।
- iii. हितधारकों अर्थात् विनिर्माताओं, पत्तनों, रेलवे को उर्वरकों का अधिकतम क्षमता पर उत्पादन करने, लोड करने तथा लक्षित स्थानों तक संचलन करने के लिए कहा गया है।
- iv. राज्य सरकारों को जिला-वार स्टॉक उपलब्धता तथा उपयुक्त कार्यकलापों के लिए आईएफएमएस डैशबोर्ड के स्टॉक आंकड़ों का प्रयोग करने पर बल दिया गया है। राज्यों के साथ समान स्तर पर बने रहने और प्रत्येक जिला/रेक पॉइंट के लिए संस्तुत संचलन की गहन निगरानी के लिए उर्वरक विभाग द्वारा इसी स्रोत का प्रयोग किया जाता है।
- v. आयातित उर्वरक शिपमेंटों के लदान तथा यात्रा समय की दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है तथा समय-समय पर अपेक्षित उपयुक्त कार्यकलाप किए गये हैं।
- vi. राज्यों, उर्वरक कंपनियों तथा रेलवे बोर्ड के साथ प्रतिदिन 24x7 गहन निगरानी तथा नियमित सम्पर्क बनाकर रखा गया है। चूंकि 90% उर्वरक रेलवे रेकों द्वारा संचलित किए जाते हैं अतः फील्ड आवश्यकता को उपयुक्त रूप से पूरा करने के लिए इन रेकों का लदान और संचलन अत्यधिक लक्षित ढंग से (संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से) निष्पादित किया जा रहा है।

## वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए उर्वरक संभू के आरक्षकता, उपलब्धता और कीबोटी विक्री

&lt;आंकड़े लाख मी.टन में&gt;

क्र.सं.	राज्य का नाम	आरक्षकता	यूरिया			डीएपी			एमडीपी			एमपीएस		
			उपलब्धता	कीबोटी विक्री	आरक्षकता	उपलब्धता	कीबोटी विक्री	आरक्षकता	उपलब्धता	कीबोटी विक्री	आरक्षकता	उपलब्धता	कीबोटी विक्री	
1	अंडमान व निकोबार	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
2	आंध्र प्रदेश	16.70	16.79	14.18	3.76	4.11	3.14	2.86	3.01	2.41	12.50	15.06	11.38	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0.04	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.35	5.15	4.39	0.65	0.93	0.58	0.80	1.11	0.79	0.05	0.23	0.14	0.00
5	बिहार	21.00	25.59	22.34	5.00	8.50	5.87	2.10	2.97	2.03	3.50	4.53	3.19	0.00
6	चंडीगढ़	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	6.00	10.94	8.18	3.50	5.49	3.31	1.20	1.36	0.71	1.50	1.74	0.94	0.00
8	झारखण्ड और नगर खली	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.08	0.23	0.21	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00
12	गुजरात	19.60	23.18	20.06	5.00	6.32	4.31	1.41	1.63	1.32	4.65	8.19	5.98	0.00
13	हरियाणा	19.00	24.99	21.66	6.20	6.93	5.48	0.85	1.05	0.70	0.27	0.57	0.45	0.00
14	हिमाचल प्रदेश	0.66	0.86	0.73	0.00	0.01	0.00	0.10	0.11	0.06	0.38	0.45	0.26	0.00
15	जम्मू और कश्मीर	1.33	1.89	1.32	0.72	0.81	0.49	0.26	0.44	0.23	0.00	0.02	0.02	0.00
16	झारखंड	2.40	2.81	2.39	1.05	1.00	0.69	0.12	0.05	0.01	0.35	0.46	0.29	0.00
17	कर्नाटक	14.00	16.76	13.91	5.87	7.44	4.88	4.00	3.75	2.64	11.71	13.00	13.31	1.16
18	केरल	1.40	1.22	0.95	0.27	0.27	0.21	1.24	1.11	0.84	1.67	1.57	1.57	1.16
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	23.00	34.36	29.51	11.50	16.87	12.63	1.25	1.58	1.08	2.80	5.39	3.89	0.00
21	महाराष्ट्र	22.00	27.75	22.81	6.70	8.58	5.61	4.50	5.24	3.86	18.00	31.05	19.72	0.00
22	मणिपुर	0.24	0.30	0.24	0.12	0.01	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.08	0.15	0.07	0.06	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.75	6.38	4.96	2.15	2.42	1.69	1.45	1.66	1.08	3.00	3.32	2.23	0.00
27	पुदुचेरी	0.11	0.15	0.13	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.06	0.05	0.04	0.00
28	पंजाब	25.50	34.62	29.17	8.50	8.84	7.02	1.10	0.96	0.56	0.68	0.76	0.55	0.00
29	राजस्थान	19.00	24.22	20.92	6.15	8.41	6.71	0.30	0.48	0.29	0.55	1.30	0.91	0.00
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	8.50	10.92	9.11	3.00	3.28	2.31	3.50	3.50	2.67	5.50	7.57	5.53	0.00
32	तेलंगाना	15.00	16.87	13.83	3.20	3.08	2.23	2.60	1.77	1.41	10.50	14.65	10.51	0.00
33	त्रिपुरा	0.39	0.34	0.11	0.06	0.05	0.00	0.14	0.07	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00
34	उत्तराखण्ड	2.35	3.00	2.75	0.33	0.40	0.22	0.05	0.08	0.03	0.39	0.42	0.32	0.00
35	उत्तर प्रदेश	59.50	73.89	62.86	21.00	23.69	17.17	3.50	2.66	1.82	9.00	8.59	6.13	0.00
36	पश्चिम बंगाल	13.00	16.18	13.23	3.50	4.19	2.75	3.25	3.56	2.42	10.54	13.13	8.79	0.00
	कुल	300.04	379.62	320.04	98.40	121.67	87.35	36.81	38.21	26.98	97.68	138.16	95.66	0.00

141

**वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उर्वरक समूह की आवश्यकता, उपलब्धता और डीबीटी बिक्री**

क्र.सं.	वर्ष 2019-20 राज्य का नाम	यूरिया			डीपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	17.50	17.52	14.26	3.00	4.72	3.52	2.70	3.18	2.42	12.00	17.83	13.52
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.10	4.26	3.63	0.63	0.93	0.65	0.71	1.06	0.71	0.16	0.24	0.18
5	बिहार	21.00	26.21	22.65	6.00	9.49	7.44	2.30	3.20	2.46	3.50	4.97	3.31
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	6.00	10.71	7.96	3.10	5.27	3.56	0.96	1.32	0.92	1.20	1.60	0.94
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.16	0.28	0.25	0.04	0.05	0.04	0.01	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00
11	गोवा	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.03	0.04	0.03
12	गुजरात	22.00	25.68	23.63	5.00	6.98	5.18	1.40	1.72	1.25	5.46	9.03	6.64
13	हरियाणा	21.00	23.61	20.88	6.30	7.44	5.89	0.95	1.06	0.58	0.40	0.40	0.23
14	हिमाचल प्रदेश	0.69	0.85	0.74	0.01	0.02	0.01	0.09	0.12	0.07	0.40	0.47	0.32
15	जम्मू और कश्मीर	1.38	2.12	0.96	0.68	0.94	0.35	0.26	0.54	0.16	0.02	0.02	0.01
16	झारखंड	2.60	2.97	2.41	1.00	1.14	0.79	0.13	0.06	0.03	0.45	0.51	0.38
17	कर्नाटक	17.91	17.74	14.63	6.49	7.91	5.54	4.80	3.63	2.59	14.21	20.28	14.70
18	केरल	1.17	1.34	1.14	0.33	0.20	0.17	1.25	1.07	0.89	1.20	1.64	1.32
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	28.50	34.25	29.99	13.00	18.62	13.46	1.50	1.71	1.13	3.75	5.35	3.74
21	महाराष्ट्र	26.00	28.20	24.19	7.50	8.55	6.07	4.75	4.62	3.24	21.00	30.54	21.90
22	मणिपुर	0.27	0.29	0.26	0.12	0.07	0.05	0.12	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
23	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.09	0.09	0.08	0.06	0.01	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.35	6.72	5.56	2.15	2.62	1.99	1.35	1.69	1.21	3.00	3.58	2.53
27	पुदुचेरी	0.13	0.12	0.11	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	0.05	0.09	0.07
28	पंजाब	26.50	33.96	29.64	8.25	9.29	7.29	1.45	1.10	0.64	0.76	0.56	0.38
29	राजस्थान	22.50	26.47	22.97	8.00	10.54	8.38	0.30	0.46	0.26	0.55	1.01	0.62
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.00	10.37	9.13	3.30	3.37	2.46	2.85	3.21	2.52	5.25	8.35	6.17
32	तेलंगाना	15.50	19.21	15.20	3.20	3.34	2.32	2.60	2.26	1.71	11.60	16.26	12.21
33	त्रिपुरा	0.33	0.29	0.17	0.06	0.07	0.02	0.10	0.12	0.07	0.02	0.02	0.01
34	उत्तराखंड	2.35	2.69	2.45	0.33	0.58	0.44	0.07	0.12	0.07	0.35	0.36	0.24
35	उत्तर प्रदेश	70.00	83.29	70.95	21.00	30.10	21.94	3.50	3.59	2.40	9.00	8.40	5.56
36	पश्चिम बंगाल	13.20	15.89	13.11	3.70	4.47	3.43	3.90	3.56	2.42	10.44	13.10	9.98
	<b>कुल</b>	<b>335.26</b>	<b>395.16</b>	<b>336.96</b>	<b>103.30</b>	<b>136.75</b>	<b>101.01</b>	<b>38.12</b>	<b>39.44</b>	<b>27.80</b>	<b>104.82</b>	<b>144.66</b>	<b>105.01</b>

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उर्वरक समूह की आवश्यकता, उपलब्धता और डीबीटी बिक्री

< आंकड़े लाख मी.टन में >

वर्ष 2020-21		सूरिया			श्रीपरी			यमओपी			यमकीरस			
क्र.सं.	राज्य का नाम	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.01	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	17.50	18.84	15.92	4.00	4.66	4.21	2.80	3.60	2.94	13.50	19.78	17.27	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	4.15	4.11	3.46	0.83	0.92	0.79	0.82	0.99	0.80	0.20	0.17	0.14	0.00
5	बिहार	22.00	26.21	23.30	7.00	8.93	8.12	2.50	3.44	2.61	3.50	4.58	3.63	0.00
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	6.50	11.08	9.17	3.35	5.42	4.51	1.01	1.52	1.12	1.60	1.72	1.19	0.00
8	दार्जिल और नगर हवेली	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.23	0.24	0.22	0.05	0.04	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.02	0.03	0.02	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
12	गुजरात	24.00	26.22	23.82	5.00	7.02	6.55	1.30	1.70	1.51	5.35	9.48	7.79	0.03
13	हरियाणा	21.00	23.64	21.52	6.30	6.86	6.32	0.70	0.98	0.60	0.40	0.35	0.23	0.00
14	हिमाचल प्रदेश	0.70	0.88	0.72	0.02	0.02	0.02	0.09	0.12	0.08	0.41	0.45	0.34	0.00
15	जम्मू और कश्मीर	1.43	2.58	2.16	0.79	0.93	0.80	0.26	0.60	0.48	0.00	0.04	0.02	0.00
16	झारखंड	2.60	3.07	2.58	1.00	1.27	1.08	0.11	0.07	0.05	0.38	0.44	0.04	0.00
17	कर्नाटक	16.50	20.62	16.43	6.50	7.97	6.82	3.15	4.57	3.35	14.15	23.28	18.24	0.36
18	केरल	1.13	1.51	1.27	0.19	0.22	0.21	0.85	1.28	1.09	1.25	1.72	1.44	0.00
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	31.00	34.73	30.18	13.55	18.04	16.07	1.50	2.03	1.50	3.75	4.85	3.98	0.00
21	महाराष्ट्र	25.00	29.76	24.62	7.00	9.44	8.17	4.50	5.43	4.09	21.00	35.89	26.89	0.00
22	मणिपुर	0.27	0.24	0.22	0.16	0.06	0.04	0.14	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
23	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.09	0.02	0.02	0.05	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.65	6.66	5.27	2.20	2.82	2.52	1.30	1.81	1.38	2.80	3.26	2.65	0.00
27	पुदुचेरी	0.13	0.15	0.14	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.04	0.11	0.09	0.00
28	पंजाब	28.30	32.85	29.37	8.25	8.87	7.73	1.50	1.21	0.85	0.76	0.47	0.36	0.00
29	राजस्थान	22.00	25.78	23.21	8.00	9.72	9.17	0.30	0.46	0.32	0.55	0.76	0.64	0.00
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.00	11.58	9.88	3.25	3.07	2.72	3.10	3.88	3.07	6.30	9.08	7.38	0.00
32	तेलंगाना	19.50	22.20	17.54	2.70	3.62	3.14	2.60	3.00	2.47	13.50	18.38	15.18	0.00
33	त्रिपुरा	0.25	0.25	0.14	0.06	0.07	0.05	0.10	0.07	0.04	0.02	0.02	0.01	0.00
34	उत्तराखंड	2.25	2.57	2.40	0.40	0.46	0.38	0.10	0.11	0.06	0.38	0.34	0.31	0.00
35	उत्तर प्रदेश	74.00	84.55	74.13	23.00	29.02	25.76	3.50	3.74	2.78	8.00	8.20	6.26	0.00
36	पश्चिम बंगाल	14.43	16.08	12.78	4.05	4.48	3.94	3.20	3.89	3.06	10.12	13.16	11.39	0.00
	कुल	350.64	406.49	350.51	107.76	133.98	119.18	35.51	44.56	34.32	108.00	156.55	125.82	0.00

5

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उर्वरक समूह की आवश्यकता, उपलब्धता और डीबीटी विक्री (30.01.2022 के अनुसार)

<आंकड़े लाख मीटन में>

क्र.सं.	वर्ष 2021-22 (30 जनवरी 2022 तक)	यूरिया			डीएपी			एमओपी			रनपिकेयस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी विक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी विक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी विक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी विक्री
	राज्य का नाम	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	14.42	13.51	11.26	3.89	3.52	3.17	2.51	1.83	1.54	14.17	14.08	11.79
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.07	3.11	2.87	0.80	0.57	0.49	0.73	0.49	0.46	0.16	0.23	0.16
5	बिहार	19.63	18.55	17.69	7.19	5.35	4.95	2.40	1.39	1.23	3.79	3.98	3.59
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
7	छत्तीसगढ़	6.34	7.41	7.07	3.62	3.49	3.32	0.94	1.07	0.94	1.16	1.32	1.22
8	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.16	0.23	0.22	0.04	0.04	0.03	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11	गोवा	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.02	0.03	0.03
12	गुजरात	21.91	19.88	18.85	4.44	4.86	4.37	1.10	1.09	0.98	5.34	6.89	6.13
13	हरियाणा	18.95	19.40	19.02	5.70	4.96	4.69	0.52	0.68	0.61	0.64	0.59	0.57
14	हिमाचल प्रदेश	0.73	0.75	0.63	0.02	0.01	0.01	0.08	0.07	0.04	0.36	0.31	0.26
15	जम्मू और कश्मीर	0.99	1.51	1.22	0.63	0.50	0.36	0.24	0.21	0.16	0.03	0.02	0.02
16	झारखंड	2.50	2.65	2.15	1.00	0.91	0.83	0.20	0.05	0.04	0.46	0.46	0.43
17	कर्नाटक	14.23	18.21	15.21	5.65	5.51	4.99	2.56	2.57	2.37	14.36	18.97	16.52
18	केरल	1.14	1.17	1.00	0.18	0.13	0.13	1.00	0.81	0.72	1.36	1.35	1.16
19	लक्षदीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	34.45	29.20	27.47	18.73	12.33	11.58	1.60	1.30	1.14	4.15	5.24	4.83
21	महाराष्ट्र	22.74	23.65	19.82	7.81	5.58	4.90	4.09	3.49	3.06	18.87	26.42	23.37
22	मणिपुर	0.26	0.21	0.19	0.13	0.03	0.03	0.14	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01
23	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.09	0.02	0.01	0.06	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	4.89	5.34	4.58	2.43	2.21	2.06	1.26	1.13	1.01	2.51	2.61	2.24
27	पुदुचेरी	0.10	0.12	0.12	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06	0.07	0.06
28	पंजाब	25.95	29.92	28.06	7.90	6.47	5.95	0.90	0.87	0.70	0.73	1.44	1.22
29	राजस्थान	20.47	21.84	21.10	7.60	6.13	5.86	0.28	0.31	0.27	0.57	1.22	1.17
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	9.12	9.49	8.81	2.65	2.26	2.07	2.61	2.55	2.25	5.92	8.08	7.01
32	तेलंगाना	16.55	16.12	12.71	3.89	2.95	2.72	2.58	1.45	1.21	16.94	13.68	11.77
33	त्रिपुरा	0.23	0.27	0.20	0.04	0.03	0.03	0.08	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02
34	उत्तराखंड	1.98	1.95	1.86	0.29	0.37	0.23	0.08	0.09	0.05	0.25	0.24	0.24
35	उत्तर प्रदेश	70.21	69.73	63.10	26.95	21.92	19.00	3.30	2.03	1.82	6.98	6.63	6.11
36	पश्चिम बंगाल	11.80	12.52	10.34	3.49	2.43	2.03	3.18	1.88	1.59	8.86	9.78	8.70
	कुल	322.96	326.79	295.58	115.18	92.58	83.80	32.45	25.41	22.24	107.71	123.72	108.63